

## समाज कल्याण

विभाग के अन्तर्गत प्रस्तावित प्रमुख एस.डी.जी.3  
(धनराशि रु. लाख में)

क्र. सं.	योजना का नाम	योजना का उददेश्य	आउट ले/बजट		1-4-2020 की वास्तविक स्थिति (भौतिक)	31-3-2021 की संभावित स्थिति (भौतिक)	परिकल्पित (प्रोजक्टेड) आउटपुट वर्ष 2021-22	परिकल्पित (प्रोजक्टेड) आउटकम वर्ष 2021-22	आउटकम हेतु संभावित समयावधि
			राजस्व	पूँजीगत					
1.	मुख्यालय एवं मण्डलीय अधिष्ठान	विभाग द्वारा संचालित योजनाओं के क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण करना तथा जनपद स्तरीय इकाईयों को विभाग द्वारा संचालित योजनाओं का सभी पात्र व्यक्तियों को लाभान्वित करने हेतु निर्देशित करना	432.20	—	6 अधिकारियों एवं 32 कर्मचारियों के वेतन भत्ते एवं कार्यालय के संचालन पर व्यय किया गया।	6 अधिकारियों एवं 30 कर्मचारियों के वेतन भत्ते एवं कार्यालय के संचालन पर व्यय का भुगतान।	8 अधिकारी एवं 57 कर्मचारी	8 अधिकारी एवं 57 कर्मचारी	वित्तीय वर्ष
2.	जिला कार्यालयों का अधिष्ठान	शासन एवं निदेशालय के निर्देशानुसार जनपद स्तर पर विभाग द्वारा संचालित समस्त योजनाओं के क्रियान्वयन, सम्पादन एवं अनुश्रवण कर विभाग द्वारा संचालित योजनाओं के लक्ष्यों की प्राप्ति करना	1427.80	—	11 अधिकारियों एवं 152 कर्मचारियों के वेतन भत्ते आदि एवं कार्यालय के संचालन हेतु आवश्यक व्यय का भुगतान किया गया	11 अधिकारियों एवं 152 कर्मचारियों के वेतन भत्ते आदि एवं कार्यालय के संचालन हेतु आवश्यक व्यय का भुगतान	13 अधिकारी एवं 283 कर्मचारी	13 अधिकारी एवं 283 कर्मचारी	वित्तीय वर्ष
3.	आई0टी0सैल की स्थापना	विभाग द्वारा संचालित योजनाओं के ऑनलाईन प्राप्त आवेदन पत्रों का परीक्षण कर पात्र व्यक्तियों को ऑनलाईन धनराशि के भुगतान करने हेतु आवश्यक कार्यवाही करना	95.31	—	10 कर्मचारियों के वेतन भत्ते आदि का भुगतान किया गया।	10 कर्मचारियों के वेतन भत्ते आदि का भुगतान	10 कर्मचारी	10 कर्मचारी	वित्तीय वर्ष
4.	उत्तराँचल अन्य पिछड़े वर्ग आयोग का अधिष्ठान	अन्य पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों हेतु संचालित योजनाओं का अनुश्रवण एवं इस वर्ग के समस्याओं के निराकरण हेतु आवश्यक कार्यवाही कर उत्थान करना	64.32	—	1 अधिकारी 3 कर्मचारियों के वेतन भत्तों का भुगतान एवं मा0 अध्यक्ष के मानदेय तथा देय सुविधाओं का भुगतान किया गया	1 अधिकारी 3 कर्मचारियों के वेतन भत्तों का भुगतान एवं मा0 अध्यक्ष के मानदेय तथा देय सुविधाओं का भुगतान	1 अधिकारी 11 कर्मचारी 1 अध्यक्ष 3 उपाध्यक्ष तथा 15 सदस्य	1 अधिकारी 11 कर्मचारी एवं 1 अध्यक्ष, 3 उपाध्यक्ष तथा 15 सदस्य	वित्तीय वर्ष

विभाग के अन्तर्गत प्रस्तावित प्रमुख एस.डी.जी.3  
(धनराशि रु. लाख में)

क्रं. सं.	योजना का नाम	योजना का उद्देश्य	आउट ले/बजट		1–4–2020 की वास्तविक स्थिति (भौतिक)	31–3–2021 की संभावित स्थिति (भौतिक)	परिकल्पित (प्रोजक्टेड) आउटपुट वर्ष 2021–22	परिकल्पित (प्रोजक्टेड) आउटकम वर्ष 2021–22	आउटकम हेतु संभावित समयावधि
			राजस्व	पूँजीगत					
5.	अति पिछड़ा वर्ग कल्याण परिषद का गठन	पिछड़े वर्गों के कल्याणार्थ संचालित योजनाओं का अनुश्रवण एवं क्रियान्वन करना	19.88	—	—	मा० उपाध्यक्ष को देय सुविधाओं का भुगतान	1 अध्यक्ष 5 उपाध्यक्ष 5 सदस्य	1 अध्यक्ष 5 उपाध्यक्ष एवं 5 सदस्य	वित्तीय वर्ष
6.	पिछड़ी जाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति (100प्रशित केंद्रों)	इस योजना हेतु भारत सरकार से प्राप्त धनराशि से पिछड़े वर्ग के आर्थिक रूप से कमज़ोर परिवारों के छात्रों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु छात्रवृत्ति एवं शुल्क का भुगतान कर आर्थिक सहायता प्रदान करना जिससे वे उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकें।	2616.00	—	4193 छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति का भुगतान किया	9038 छात्र/छात्राओं का छात्रवृत्ति का भुगतान	15000 ( छात्र/छात्रा )	15000 ( छात्र/छात्रा )	शैक्षणिक सत्र
7.	पिछड़ी जाति के पूर्वदशम कक्षाओं में अध्ययनरत छात्रों को निर्धनता के आधार पर छात्रवृत्ति	पिछड़े वर्ग के निर्धन छात्रों को छात्रवृत्ति एवं तर्दथ अनुदान देकर प्राथमिक शिक्षा ग्रहण करने हेतु प्रोत्साहित करना	807.01	—	19214 छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति का भुगतान किया	7693 छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति का भुगतान	30000 ( छात्र/छात्रा )	30000 ( छात्र/छात्रा )	शैक्षणिक सत्र
8.	गोरखा कल्याण परिषद	गोरखा जाति की समस्याओं का निराकरण करना	10.63	—	मा० उपाध्यक्ष को देय सुविधाओं का भुगतान किया	मा० उपाध्यक्ष एवं उनके स्टाफ को देय सुविधाओं का भुगतान	1 अध्यक्ष 2 उपाध्यक्ष 11 सदस्य	1 अध्यक्ष 2 उपाध्यक्ष 11 सदस्य	वित्तीय वर्ष
9.	कश्मीरी विस्थापितों का पुर्नवासन	कश्मीर से आये विस्थापित परिवारों को उनके भरण पोषण हेतु आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना।	5.81	—	39 परिवारों को पेंशन की धनराशि का भुगतान किया	39 परिवारों को पेंशन की धनराशि का भुगतान किया जायेगा	34 ( परिवार )	34 ( परिवार )	मासिक
10.	उत्तराखण्ड सुगम्य अभियान (आर.पी. डब्ल्यू.डी.) के अन्तर्गत बैरियर फी	शासकीय भवनों में दिव्यांगजनों को बैरियर फी आवागमन की सुविधा, दिव्यांगजनों विभागीय	300.00	—	5 सार्वजनिक भवनों को दिव्यांगजनों सुविधाजनक बनाया	7 सार्वजनिक भवनों को दिव्यांगजनों हेतु सुविधाजनक बनाया	118 (भवन)	118 (भवन)	वित्तीय वर्ष

विभाग के अन्तर्गत प्रस्तावित प्रमुख एस.डी.जी.3  
(धनराशि रु. लाख में)

क्रं. सं.	योजना का नाम	योजना का उद्देश्य	आउट ले/बजट		1–4–2020 की वास्तविक स्थिति (भौतिक)	31–3–2021 की संभावित स्थिति (भौतिक)	परिकल्पित (प्रोजक्टेड) आउटपुट वर्ष 2021–22	परिकल्पित (प्रोजक्टेड) आउटकम वर्ष 2021–22	आउटकम हेतु संभावित समयावधि
			राजस्व	पूँजीगत					
	की सुविधा उपलब्ध कराना	बेवसाईट सुविधाजनक बनाने, रिसोस सेन्टर बनाने, पुस्तकालय व अन्य सम्बन्धित केन्द्रों को डिजिटल बनाने तथा विशेष मनोरंजन केन्द्र स्थापित करना			गया	जाना है।			
11.	विभिन्न श्रेणी के दिव्यांगजनों के लिये आश्रित कर्मशालायें व प्रशिक्षण केन्द्र	विभाग द्वारा संचालित दिव्यांग कर्मशालाओं में दिव्यांग व्यक्तियों को निःशुल्क आवासीय एवं भोजन की सुविधा उपलब्ध कराकर विभिन्न व्यवसायिक प्रशिक्षण प्रदान किया गया एवं 15 कर्मचारी के वेतन भत्ते आदि का भुगतान किया गया	126.68	—	43 दिव्यांग व्यक्ति को निःशुल्क आवासीय एवं भोजन की सुविधा उपलब्ध कराकर विभिन्न व्यवसायिक प्रशिक्षण प्रदान किया गया एवं 15 कर्मचारी के वेतन भत्ते आदि का भुगतान किया गया	50 दिव्यांग व्यक्ति को निःशुल्क आवासीय एवं भोजन की सुविधा उपलब्ध कराकर विभिन्न व्यवसायिक प्रशिक्षण प्रदान किया गया एवं 15 कर्मचारी के वेतन भत्ते आदि का भुगतान	300 दिव्यांग व्यक्ति को निःशुल्क आवासीय एवं भोजन की सुविधा उपलब्ध कराना एवं 40 कर्मचारी के वेतन भत्ते आदि का भुगतान	300 दिव्यांग व्यक्ति विभिन्न व्यवसायिक प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु निःशुल्क आवासीय एवं भोजन की सुविधा उपलब्ध कराना एवं 40 कर्मचारी के वेतन भत्ते आदि का भुगतान	वित्तीय वर्ष
12.	दक्ष कर्मचारियों एवं उनके सेवायोजकों को राज्य स्तरीय पुरस्कार योजना	दक्ष विकलांग कर्मचारियों एवं उनके सेवायोजकों को उत्कृष्ट कार्य के लिये पुरस्कृत कर प्रोत्साहन देना।	9.00	—	20 दक्ष दिव्यांग व्यक्तियों को पुरस्कार दिया	54 दक्ष दिव्यांग व्यक्तियों को पुरस्कार दिया	35 ( दक्ष दिव्यांग व्यक्ति )	35 (दक्ष दिव्यांग व्यक्ति )	वित्तीय वर्ष
13.	दिव्यांग युवक युवतियों से शादी करने पर प्रोत्साहन	दिव्यांग युवक/ युवतियों से सामान्य युवक/ युवति द्वारा विवाह करने पर दम्पत्ति को पुरस्कार स्वरूप धनराशि देकर प्रोत्साहित करना	25.00	—	57 दम्पत्ति को पुरस्कार दिया गया	100 दम्पत्तियों को पुरस्कार दिया जायेगा	100 ( दम्पत्ति )	100 ( दम्पत्ति )	वित्तीय वर्ष

विभाग के अन्तर्गत प्रस्तावित प्रमुख एस.डी.जी.3  
(धनराशि रु. लाख में)

क्रं. सं.	योजना का नाम	योजना का उद्देश्य	आउट ले/बजट		1–4–2020 की वास्तविक स्थिति (भौतिक)	31–3–2021 की संभावित स्थिति (भौतिक)	परिकल्पित (प्रोजक्टेड) आउटपुट वर्ष 2021–22	परिकल्पित (प्रोजक्टेड) आउटकम वर्ष 2021–22	आउटकम हेतु संभावित समयावधि
			राजस्व	पूँजीगत					
14.	दिव्यांगजनों हेतु शिविर एवं सेमीनारों का आयोजन	सभी पात्र दिव्यांग व्यक्तियों को विभाग द्वारा संचालित योजनाओं का अधिकतम लाभ पहुँचाना	5.00	—	15 शिविर आयोजित किये जायेंगे	25 शिविर आयोजित किये जायेंगे	50 ( शिविर )	50 ( शिविर )	वित्तीय वर्ष
15.	दिव्यांग छात्रवृत्ति योजना	दिव्यांगों को प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने हेतु प्रोत्साहित कराना	10.00	—	270 छात्र/छात्राओं	97	1000 ( छात्र/छात्रा )	1000 ( छात्र/छात्रा )	वित्तीय वर्ष
16.	दिव्यांगजन अधिनियम 2016 के क्रियान्वयन हेतु कार्यक्रम	दिव्यांग जन अधिनियम 2016 के प्राविधानों के अनुसार दिव्यांगों को अधिकतम लाभ पहुँचाना	35.92	—	1 अधिकारी एवं 5 कर्मचारियों के वेतन भत्ते आदि का भुगतान	1 अधिकारी एवं 5 कर्मचारियों के वेतन भत्ते आदि का भुगतान	1 अधिकारी एवं 5 कर्मचारी	1 अधिकारी एवं 5 कर्मचारी	वित्तीय वर्ष
17.	दिव्यांगजनों के लिये जीविका अवसर प्रोत्साहन योजना	दिव्यांग व्यक्तियों को व्यवसायिक प्रशिक्षण देकर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना	20.00	—	—	—	20 ( व्यक्ति )	20 ( व्यक्ति )	वित्तीय वर्ष
18.	प्रदेश के समस्त जिला मुख्यालयों पर दिव्यांग पुनर्वास केन्द्रों की स्थापना	समस्त जिला मुख्यालयों में स्थापित चिकित्सालयों में दिव्यांगजनों हेतु पृथक से कक्ष स्थापित कर दिव्यांग जनों हेतु आवश्यक उपकरण एंव सामग्री उपलब्ध कराना	100.00	—	7 सार्वजनिक भवनों में दिव्यांगजनों को बैरियर फ्री आवागमन की सुविधा उपलब्ध करायी	10 डी०डी०आर०सी० केन्द्र	13 डी०डी०आर०सी० केन्द्र	13 डी०डी०आर०सी० केन्द्र	वित्तीय वर्ष
20.	शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों को कृत्रिम श्रवण सहायक यंत्र क्य करने हेतु आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना	दिव्यांग व्यक्तियों को सहायक यंत्र क्य करने हेतु आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना	75.00	—	728 दिव्यांग व्यक्तियों को कृत्रिम अंग हेतु अनुदान दिया गया	2000 दिव्यांग व्यक्तियों को कृत्रिम अंग अनुदान दिया जायेगा	2100 ( दिव्यांग व्यक्ति )	2100 ( दिव्यांग व्यक्ति )	वित्तीय वर्ष

विभाग के अन्तर्गत प्रस्तावित प्रमुख एस.डी.जी.3  
(धनराशि रु. लाख में)

क्रं. सं.	योजना का नाम	योजना का उद्देश्य	आउट ले/बजट		1–4–2020 की वास्तविक स्थिति (भौतिक)	31–3–2021 की संभावित स्थिति (भौतिक)	परिकल्पित (प्रोजक्टेड) आउटपुट वर्ष 2021–22	परिकल्पित (प्रोजक्टेड) आउटकम वर्ष 2021–22	आउटकम हेतु संभावित समयावधि
			राजस्व	पूँजीगत					
	अनुदान								
21.	दिव्यांग पेंशन	निर्धन दिव्यांगों को उनके भरण पोषण हेतु पेंशन देकर आर्थिक सहायता प्रदान करना	12909.72	—	75833 दिव्यांग पेंशनरों को पेंशन का भुगतान किया	77774 दिव्यांग पेंशनरों को पेंशन का भुगतान	82600 ( दिव्यांग पेंशनर )	82600 ( दिव्यांग पेंशनर )	त्रैमासिक
22.	इन्दिरा गॉधी राष्ट्रीय दिव्यांग पेंशन	बी0पी0एल0 दिव्यांगजनों को पेंशन देकर आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना।	191.53	—	2914 दिव्यांग पेंशनरों को पेंशन का भुगतान किया	2919 दिव्यांग पेंशनरों को पेंशन का भुगतान	3000 ( दिव्यांग पेंशनर )	3000 ( दिव्यांग पेंशनर )	त्रैमासिक
23.	मानसिक रूप से उपचारित या अवयोजन पुरुषों/महिलाओं एवं बालक-बालिकाओं के लिये गृह का निर्माण	मानसिक रूप से उपचारित या अवयोजन पुरुषों/महिलाओं एवं बालक-बालिकाओं को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने हेतु गृह का निर्माण	—	187.40	—	—	1 (भवन निर्माण)	1 (भवन निर्माण)	वित्तीय वर्ष
24.	विधवा पेंशन	निर्धन निराश्रित विधवाओं को उनके तथा बच्चों के भरण पोषण हेतु पेंशन देकर आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना	25171.20	—	140391 विधवा पेंशनरों को पेंशन का भुगतान किया	143831 विधवा पेंशनरों को पेंशन का भुगतान	147500 ( विधवा पेंशनर )	147500 ( विधवा पेंशनर )	वित्तीय वर्ष
25.	इन्दिरा गॉधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन	बी0पी0एल0 विधवाओं को पेंशन देकर आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना।	1513.52	—	26649 विधवा पेंशनरों को पेंशन का भुगतान	26968 पेंशनरों को पेंशन का भुगतान	27500 ( विधवा पेंशनर )	27500 ( विधवा पेंशनर )	त्रैमासिक
26.	निराश्रित परित्यक्त, मानसिक रूप से विकृत व्यक्ति की पत्नी के भरण पोषण हेतु पेंशन देकर आर्थिक सहायता करना	निराश्रित परित्यक्त, मानसिक रूप से विकृत व्यक्ति की पत्नी के भरण पोषण हेतु पेंशन देकर आर्थिक सहायता करना	600.00	—	4448 पेंशनरों को पेंशन का भुगतान किया	4500 पेंशनरों को पेंशन का भुगतान	5925 ( पेंशनर )	5925 ( पेंशनर )	त्रैमासिक

विभाग के अन्तर्गत प्रस्तावित प्रमुख एस.डी.जी.3  
(धनराशि रु. लाख में)

क्रं. सं.	योजना का नाम	योजना का उद्देश्य	आउट ले/बजट		1–4–2020 की वास्तविक स्थिति (भौतिक)	31–3–2021 की संभावित स्थिति (भौतिक)	परिकल्पित (प्रोजक्टेड) आउटपुट वर्ष 2021–22	परिकल्पित (प्रोजक्टेड) आउटकम वर्ष 2021–22	आउटकम हेतु संभावित समयावधि
			राजस्व	पूँजीगत					
27.	निराश्रित परित्यक्त महिलाओं को उनकी पुत्रीयों की शादी हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करना	निराश्रित परित्यक्त महिलाओं को उनकी पुत्रीयों की शादी हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करना	50.00	—	—	100 ( पुत्रियों )	100 ( पुत्रियों )	100 ( पुत्रियों )	वित्तीय वर्ष
28.	वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिये राष्ट्रीय कार्ययोजना	भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार वृद्धजनों के कल्याण संचालित स्वैच्छिक संस्थाओं को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना	69.12	—	—	04 (संस्थायें)	04 (संस्थायें)	04 (संस्थायें)	वित्तीय वर्ष
29.	वृद्ध अशक्त व्यक्तियों के लिये आवास गृह	निराश्रित वृद्धजनों को निःशुल्क आश्रय, भोजन एवं वस्त्र आदि उपलब्ध कराना	321.88	—	18  निराश्रित वृद्धजनों को निःशुल्क आवासीय एवं भोजन की सुविधा उपलब्ध करायी गयी एवं 4 कर्मचारियों के वेतन भत्ते आदि का भुगतान	50  निराश्रित वृद्धजनों को निःशुल्क आवासीय एवं भोजन की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी एवं 4 कर्मचारियों के वेतन भत्ते आदि का भुगतान	100  निराश्रित वृद्धजन एवं 10 कर्मचारी	100  निराश्रित वृद्धजन एवं 10 कर्मचारी	वित्तीय वर्ष
30.	मादक द्रव्य और नशीली दवाओं के सेवन से बचाव	विभिन्न प्रचार-प्रसार माध्यमों एवं गोष्ठीयां आयोजित कर मादक द्रव्यों और नशीली दवाओं के सेवन से होने वाली बुराईयों एवं इससे बचाव करने के उपायों को जनसामान्य को तक पहुँचाकर जागरूक करना	330.00	—	—	—	13 (जनपद)	13 (जनपद)	वित्तीय वर्ष
31.	मिक्षावृत्ति का निवारण	ऐसे व्यक्ति जो मिक्षावृत्ति करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं उनको निःशुल्क आवास, भोजन, वस्त्र आदि की सुविधा उपलब्ध कराकर	88.71	—	200  मिक्षुक को निःशुल्क आवासीय एवं भोजन की सुविधा तथा 12 कर्मचारियों के वेतन	200  मिक्षुक को निःशुल्क आवासीय एवं भोजन की सुविधा तथा 12 कर्मचारियों के वेतन	200 ( मिक्षुक )	200 ( मिक्षुक )	वित्तीय वर्ष

विभाग के अन्तर्गत प्रस्तावित प्रमुख एस.डी.जी.3  
(धनराशि रु. लाख में)

क्रं. सं.	योजना का नाम	योजना का उद्देश्य	आउट ले/बजट		1–4–2020 की वास्तविक स्थिति (भौतिक)	31–3–2021 की संभावित स्थिति (भौतिक)	परिकल्पित (प्रोजक्टेड) आउटपुट वर्ष 2021–22	परिकल्पित (प्रोजक्टेड) आउटकम वर्ष 2021–22	आउटकम हेतु संभावित समयावधि
			राजस्व	पूँजीगत					
		भिक्षावृत्ति का निवारण करना			भत्ते का भुगतान किया गया	भत्ते का भुगतान			
32.	वृद्धों की देखभाल हेतु स्वयंसेवी संस्थाओं को सहायता	वृद्धों की देखभाल हेतु ऐसी स्वैच्छिक संस्थायें जो भारत सरकार के मानकों को पूर्ण करती है उन स्वैच्छिक संस्थाओं को अनुदान दिया जाना	260.00	—	—	13 (स्वैच्छिक संस्थायें)	13 (स्वैच्छिक संस्थायें)	13 (स्वैच्छिक संस्थायें)	वित्तीय वर्ष
33.	मान्यता प्राप्त प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं को अनुदान	अनुसूचित जाति के निर्धन परिवारों के छात्रों को व्यवसायिक शिक्षा प्रदान करने हेतु स्वैच्छिक संस्थाओं को अनुदान	20.00	—	2 ( संस्थायें)	2 ( संस्थायें)	2 ( संस्थायें)	2 ( संस्थायें)	वित्तीय वर्ष
34.	अनाथों के दाह–दफन हेतु स्वैच्छिक संस्थाओं को अनुदान	विभाग द्वारा लावारिस शवों के दाह–दफन हेतु स्वैच्छिक संस्थाओं को सहायता	10.00	—	120 ( व्यक्ति)	200 ( व्यक्ति)	200 ( व्यक्ति)	200 ( व्यक्ति)	वित्तीय वर्ष
35.	ट्रान्सजेण्डर समुदाय के उत्थान के लिये अन्वेला योजना	ट्रान्सजेण्डर समुदाय के उत्थान के शैक्षणिक सुविधा देने हेतु छात्रवृत्ति, पेंशन एवं रोजगार हेतु आर्थिक सहायता दिया जाना	10.30	—	—	10 (ट्रान्सजेण्डर व्यक्ति)	25 (ट्रान्सजेण्डर व्यक्ति)	25 (ट्रान्सजेण्डर व्यक्ति)	वित्तीय वर्ष
36.	आर्थिक रूप से पिछडे वर्गों के छात्रों हेतु डा० अन्वेडकर दशमोत्तर छात्रवृत्ति (100 प्रतिशत के०स०)	आर्थिक रूप से पिछडे वर्ग (ई०बी०सी०) के छात्रों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु छात्रवृत्ति एवं अनावर्ती सहायता की धनराशि का भुगतान कर आर्थिक सहायता करना।	187.22	—	—	1742 ( छात्र/छात्रा )	2000 ( छात्र/छात्रा )	2000 ( छात्र/छात्रा )	वित्तीय वर्ष
37.	निराश्रित विधवाओं को उनकी पुत्रियों के विवाह हेतु	निराश्रित विधवाओं को उनकी पुत्री की शादी हेतु आर्थिक सहायता दिया जाना	750.00	—	570 ( पुत्रियों )	1500 ( पुत्रियों )	1500 ( पुत्रियों )	1500 ( पुत्रियों )	वित्तीय वर्ष

विभाग के अन्तर्गत प्रस्तावित प्रमुख एस.डी.जी.3  
(धनराशि रु. लाख में)

क्रं. सं.	योजना का नाम	योजना का उद्देश्य	आउट ले/बजट		1–4–2020 की वास्तविक स्थिति (भौतिक)	31–3–2021 की संभावित स्थिति (भौतिक)	परिकल्पित (प्रोजक्टेड) आउटपुट वर्ष 2021–22	परिकल्पित (प्रोजक्टेड) आउटकम वर्ष 2021–22	आउटकम हेतु संभावित समयावधि
			राजस्व	पूँजीगत					
	अनुदान								
38.	अन्तर्जातीय /अन्तर्धार्मिक विवाह हेतु अनुदान	समाज में समरसता लाने हेतु अन्तर्जातीय/अन्तर्धार्मिक विवाह को प्रोत्साहन देना	10.00	—	35 ( दम्पत्ति )	50 ( दम्पत्ति )	20 ( दम्पत्ति )	20 ( दम्पत्ति )	वित्तीय वर्ष
39.	दिव्यांग बेरोजगारों को कौशल बृद्धि प्रशिक्षण योजना	दिव्यांग बेरोजगार व्यक्तियों को व्यवसायिक प्रशिक्षण देकर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना	8.00	—	—	—	20 ( दिव्यांग व्यक्ति )	20 ( दिव्यांग व्यक्ति )	वित्तीय वर्ष
40.	योजनाओं का मूल्यांकन प्रचार–प्रसार	विभिन्न प्रचार–प्रसार माध्यमों से विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी जन सामान्य तक पहुँचाना	5.00	—	1 विभागीय पुस्तिका का प्रकाशन एवं विभागायी योजनाओं का प्रचार–प्रसार	1 विभागीय पुस्तिका 1 बाउजर का प्रकाशन एवं विभागायी योजनाओं का प्रचार–प्रसार	1 विभागीय पुस्तिका 1 बाउजर का प्रकाशन एवं प्रचार के अन्य माध्यमों से विभागायी योजनाओं का प्रचार–प्रसार	1 विभागीय पुस्तिका 1 बाउजर का प्रकाशन एवं प्रचार के अन्य माध्यमों से विभागायी योजनाओं का प्रचार–प्रसार	वित्तीय वर्ष
41.	वरिष्ठ नागरिक एवं वृद्धजन कल्याण समिति	वरिष्ठ नागरिकों के कल्याणार्थ संचालित योजनाओं का अनुश्रवण करना	9.30	—	—	—	1 अध्यक्ष 3 उपाध्यक्ष एवं 11 सदस्य	1 अध्यक्ष 3 उपाध्यक्ष एवं 11 सदस्य	वित्तीय वर्ष
42.	समाज कल्याण अनुश्रवण समिति	समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित योजनाओं का अनुश्रवण करना	25.06	—	मा० अध्यक्ष एवं उनके स्टाफ को देय सुविधाओं का भुगतान किया	मा० अध्यक्ष एवं उनके स्टाफ को देय सुविधाओं का भुगतान किया	1 अध्यक्ष, 2 उपाध्यक्ष एवं 13 सदस्य	1 अध्यक्ष, 2 उपाध्यक्ष एवं 13 सदस्य	वित्तीय वर्ष
43.	मा० मुख्य मंत्री के सलाहकार (समाज कल्याण)	समाज कल्याण द्वारा संचालित योजनाओं के सम्बन्ध में मा० मुख्य मंत्री जी के सलाहकार के रूप में कार्य करना।	13.07	—	—	—	1 अध्यक्ष एवं उनको अनुमन्य स्टाफ को देय सुविधाओं का भुगतान	1 अध्यक्ष एवं उनको अनुमन्य स्टाफ को देय सुविधाओं का भुगतान	वित्तीय वर्ष

विभाग के अन्तर्गत प्रस्तावित प्रमुख एस.डी.जी.3  
(धनराशि रु. लाख में)

क्रं. सं.	योजना का नाम	योजना का उद्देश्य	आउट ले/बजट		1–4–2020 की वास्तविक स्थिति (भौतिक)	31–3–2021 की संभावित स्थिति (भौतिक)	परिकल्पित (प्रोजक्टेड) आउटपुट वर्ष 2021–22	परिकल्पित (प्रोजक्टेड) आउटकम वर्ष 2021–22	आउटकम हेतु संभावित समयावधि
			राजस्व	पूँजीगत					
									भुगतान
44.	वृद्धावस्था पेंशन	निर्धन, निराश्रित वृद्धजनों को उनके भरण—पोषण हेतु पेंशन देकर आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना।	59288.56	—	238087 वृद्ध पेंशनरों को पेंशन का भुगतान किया	239486 वृद्ध पेंशनरों को पेंशन का भुगतान किया जायेगा	247000 ( वृद्ध पेंशनर )	247000 ( वृद्ध पेंशनर )	त्रैमासिक
45.	इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन (100प्रतिशत के0स0)	बी0पी0एल0 निराश्रित वृद्धजनों को पेंशन देकर आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना।	8742.14	—	214688 पेंशनरों को पेंशन का भुगतान किया	213504 पेंशनरों को पेंशन का भुगतान किया जायेगा	215000 ( पेंशनर )	215000 ( पेंशनर )	त्रैमासिक
46.	इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ (100प्रतिशत के0स0)	बी0पी0एल0 परिवार के मुखीया की मृत्यु होने पर आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना।	555.00	—	2251 परिवारों को आर्थिक सहायता दी गयी	2500 परिवारों को सहायता दी जायेगा	2775 ( परिवार )	2275 ( परिवार )	वित्तीय वर्ष
47.	किसान पेंशन योजना	ऐसे निर्धन किसान जो स्वयं की भूमि पर खेती कर रहे हैं उनका पेंशन देकर आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना।	4165.00	—	25558 किसान पेंशनरों को पेंशन का भुगतान किया गया	25850 किसान पेंशनरों को पेंशन का भुगतान	28000 ( किसान पेंशनर )	28000 ( किसान पेंशनर )	त्रैमासिक
48.	पर्वतीय क्षेत्रों में 60 वर्ष से ऊपर के निवासरत पुरोहितों को पेंशन	पुरोहिती का कार्य कर रहे पुरोहितों को पेंशन देकर आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना।	50.00	—	—	—	416 ( पुरोहितों को पेंशनर )	416 ( पुरोहितों को पेंशनर )	त्रैमासिक
49.	डंगरियों एवं जगरियों को मासकि पेंशन	डंगरियों एवं जगरियों को पेंशन देकर आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना।	50.00	—	—	—	825 ( व्यक्तियों को पेंशन )	825 ( व्यक्तियों को पेंशन )	त्रैमासिक
50.	पिछड़ी जाति वित्त एवं विकास निगम हेतु अंशपूँजी	निगम की अधिकृत अंशपूँजी की पूर्ति करना	—	10.00	—	—	10 (व्यक्ति)	10 (व्यक्ति)	वित्तीय वर्ष
51.	जिला मुख्यालयों में अन्य पिछडे वर्ग के विधार्थियों हेतु	पिछडे वर्गों के सुदूरवर्ती क्षेत्रों से जिला मुख्यालय में शिक्षा ग्रहण करने आये निर्धन छात्रों	—	10.25	—	1 ( छात्रावास निर्माण )	1 (छात्रावास निर्माण)	1 (छात्रावास निर्माण )	वित्तीय वर्ष

विभाग के अन्तर्गत प्रस्तावित प्रमुख एस.डी.जी.3  
(धनराशि रु. लाख में)

क्रं. सं.	योजना का नाम	योजना का उद्देश्य	आउट ले/बजट		1–4–2020 की वास्तविक स्थिति (भौतिक)	31–3–2021 की संभावित स्थिति (भौतिक)	परिकल्पित (प्रोजक्टेड) आउटपुट वर्ष 2021–22	परिकल्पित (प्रोजक्टेड) आउटकम वर्ष 2021–22	आउटकम हेतु संभावित समयावधि
			राजस्व	पूँजीगत					
	छात्रावास का निर्माण ( 50 प्रतिशत के0स0)	को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराना।							
52.	मानसिक रूप से उपचारित या अवयोजन पुरुषों/महिलाओं एवं बालक/बालिकाओं के लिये गृहों का निर्माण	मानसिक रोगियों के पुनर्वास हेतु गृह का निर्माण कर उनकों आवासीय तथा भोजन आदि की सुविधा उपलब्ध कराना	—	187.40	—	1 ( भवन का निर्माण)	1 ( भवन का निर्माण)	1 ( भवन का निर्माण)	वित्तीय वर्ष
53.	राजकीय वृद्ध आश्रम के भवन का निर्माण	निराश्रित वृद्धजनों को निःशुल्क आवासीय सुविधा उपलब्ध कराना	—	150.00	1 (निर्माण कार्य)	1 ( भवन का निर्माण)	02 ( भवन का निर्माण)	02 ( भवन का निर्माण)	वित्तीय वर्ष
54.	अनुसूचित जाति/जनजाति आयोग की स्थापना	अनुसूचित जाति के कल्याणार्थ संचालित योजनाओं के अनुश्रवण तथा समस्याओं के निराकरण हेतु आयोग की स्थापना	93.74	—	मा0 उपाध्यक्ष को देय सुविधाओं एवं आयोग के 1 अधिकारी एवं 3 कर्मचारियों के वेतन भत्तों का भुगतान किया	मा उपाध्यक्ष को देय सुविधाओं के का भुगतान एवं 1 अधिकारी तथा 3 कर्मचारियों के वेतन भत्तों का भुगतान	1 अध्यक्ष, 1 उपाध्यक्ष एवं 5 सदस्यों तथा 1 अधिकारी एवं 10 कर्मचारी	1 अध्यक्ष, 1 उपाध्यक्ष एवं 5 सदस्यों तथा 1 अधिकारी एवं 10 कर्मचारी	वित्तीय वर्ष
55.	प्रधान मंत्री आर्दश ग्राम योजना (पी०ए०ए०जी०वाई० )	प्रधानमंत्री आर्दश ग्राम योजनान्तर्गत भारत सरकार द्वारा चयनित ग्रामों को बुनियादी सुविधायें उपलब्ध कराकर। आर्दश ग्राम की स्थापना करना	2987.20	—	191 (ग्राम)	244 (ग्राम)	244 (ग्राम)	244 (ग्राम)	वित्तीय वर्ष
56.	औद्योगिक आस्थान की स्थापना	अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को स्वरोजगार हेतु दुकान एवं प्लान उपलब्ध कराना	19.36	—	2 कर्मचारियों के वेतन भत्तों एवं कार्यालय के संचालन हेतु आवश्यक	2 कर्मचारियों के वेतन भत्तों एवं कार्यालय के संचालन	1 अधिकारी एवं 2 कर्मचारी	1 अधिकारी एवं 2 कर्मचारी	वित्तीय वर्ष

विभाग के अन्तर्गत प्रस्तावित प्रमुख एस.डी.जी.3  
(धनराशि रु. लाख में)

क्रं. सं.	योजना का नाम	योजना का उद्देश्य	आउट ले/बजट		1–4–2020 की वास्तविक स्थिति (भौतिक)	31–3–2021 की संभावित स्थिति (भौतिक)	परिकल्पित (प्रोजक्टेड) आउटपुट वर्ष 2021–22	परिकल्पित (प्रोजक्टेड) आउटकम वर्ष 2021–22	आउटकम हेतु संभावित समयावधि
			राजस्व	पूँजीगत					
					व्यय का भुगतान किया	हेतु आवश्यक व्यय का भुगतान किया			
57.	अनुसूचित जातियों हेतु जीविका अवसर प्रोत्साहन योजना	अनुसूचित जाति के निर्धन व्यक्तियों को प्रशिक्षित कर स्वरोजगार हेतु प्रेत्साहित करना।	40.00	—	1115 (व्यक्ति)	760 ( व्यक्ति)	300 ( व्यक्ति)	300 ( व्यक्ति)	वित्तीय वर्ष
58.	शिल्पी ग्राम योजना	परम्परागत शिल्पीयों को ऋण प्रदान कर स्वरोजगार हेतु आर्थिक सहायता पहुँचाना	25.00	—	—	150 ( व्यक्ति)	500 (व्यक्ति)	500 ( व्यक्ति)	वित्तीय वर्ष
59.	अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 एवं नागरिक अधिकार अधिनियम 1955 का क्रियान्वयन	अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 एवं नागरिक अधिकार अधिनियम 1955 के प्राविधानों के अनुसार अत्याचारों से उत्पीड़ित अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के परिवारों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना	459.00	—	308 ( परिवारों को आर्थिक सहायता उपलब्ध करायी गयी )	—	—	—	वित्तीय वर्ष
60.	अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को उनकी पुत्रीयों की शादी हेतु आर्थिक सहायता	अनुसूचित जाति के निर्धन परिवारों को उनकी पुत्री की शादी हेतु आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना	2200.00	—	1800 ( पुत्रियों के विवाह हेतु आर्थिक सहायता उपलब्ध करायी गयी )	4000 ( पुत्रियों के विवाह हेतु आर्थिक सहायता उपलब्ध करायी जायेगी )	4400 ( पुत्रियों )	4400 ( पुत्रियों )	वित्तीय वर्ष
61.	अनुसूचित जाति के दशमात्तर कक्षाओं में अध्ययनरत छात्रों को छात्रवृत्ति	अनुसूचित जाति के आर्थिक रूप से कमज़ोर परिवारों के छात्रों को छात्रवृत्ति एवं अनावर्ती सहायता देकर उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु आर्थिक सहायता उपलब्ध करना।	2512.50	—	—	10000 ( छात्र/छात्रा )	10500 ( छात्र/छात्रा )	10500 ( छात्र/छात्रा )	शैक्षणिक सत्र
62.	अनुसूचित जाति के	अनुसूचित जाति के आर्थिक	9301.01	—	37632	50000	53000	53000	शैक्षणिक

विभाग के अन्तर्गत प्रस्तावित प्रमुख एस.डी.जी.3  
(धनराशि रु. लाख में)

क्रं. सं.	योजना का नाम	योजना का उद्देश्य	आउट ले/बजट		1–4–2020 की वास्तविक स्थिति (भौतिक)	31–3–2021 की संभावित स्थिति (भौतिक)	परिकल्पित (प्रोजक्टेड) आउटपुट वर्ष 2021–22	परिकल्पित (प्रोजक्टेड) आउटकम वर्ष 2021–22	आउटकम हेतु संभावित समयावधि
			राजस्व	पूँजीगत					
	विकास की योजना (100 प्रतिशत के0स0)	रूप से कमजोर परिवारों के छात्रों को छात्रवृत्ति एवं अनावर्ती सहायता देकर उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना।			छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति एवं अनावर्ती सहायता का भुगतान किया	छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति एवं अनावर्ती सहायता	( छात्र/छात्रा )	( छात्र/छात्रा )	सत्र
63.	अनुसूचित जाति कक्षा 9 से 10 की छात्रवृत्ति	अनुसूचित जाति के आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के कक्षा 9 से 10 के छात्रों में छात्रों को छात्रवृत्ति देकर उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना।	655.00	—	—	16227 छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति	34000 ( छात्र/छात्रा )	34000 ( छात्र/छात्रा )	शैक्षणिक सत्र
64.	औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्रों का संचालन	अनुसूचित जाति के छात्रों को व्यवसायिक एवं तकनीकी प्रशिक्षण देकर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना	354.29	—	309 छात्रों को विभिन्न व्यवसायों में प्रशिक्षण दिया गया एवं 49 कर्मचारियों के वेतन भत्ते आदि का भुगतान किया गया	49 कर्मचारियों के वेतन भत्ते आदि का भुगतान किया गया	576 ( छात्र )	576 ( छात्र )	शैक्षणिक सत्र
65.	आश्रम विधालयों का संचालन पद्धति	अनुसूचित जाति के निर्धन गरीब परिवारों के बालकों को निःशुल्क आवासीय, भोजन एवं वस्त्र आदि की सुविधा उपलब्ध कराकर प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराना।	728.08	—	333 छात्रों को निःशुल्क आवासीय एवं भोजन की सुविधा उपलब्ध कराकर छात्रों को प्राथमिक शिक्षा प्रदान की गयी एवं 40 कर्मचारियों के वेतन भत्ते आदि का भुगतान किया गया	40 कर्मचारियों के वेतन भत्ते आदि का भुगतान	560 ( छात्र )	560 ( छात्र )	शैक्षणिक सत्र
66.	अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के लिये विभिन्न सेवाओं हेतु पूर्व प्रशिक्षण योजना	अनुसूचित जाति के निर्धन परिवारों के छात्र-छात्राओं को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में चयनित होने के लिये मान्यता	520.06	—	236 छात्र/छात्राओं को निःशुल्क कोंचिंग प्रदान की गयी	236 छात्र/छात्राओं को निःशुल्क कोंचिंग की प्रदान की जा रही है	500 ( छात्र/छात्रा )	500 ( छात्र/छात्रा )	शैक्षणिक सत्र

विभाग के अन्तर्गत प्रस्तावित प्रमुख एस.डी.जी.3  
(धनराशि रु. लाख में)

क्रं. सं.	योजना का नाम	योजना का उद्देश्य	आउट ले/बजट		1–4–2020 की वास्तविक स्थिति (भौतिक)	31–3–2021 की संभावित स्थिति (भौतिक)	परिकल्पित (प्रोजक्टेड) आउटपुट वर्ष 2021–22	परिकल्पित (प्रोजक्टेड) आउटकम वर्ष 2021–22	आउटकम हेतु संभावित समयावधि
			राजस्व	पूँजीगत					
		प्राप्त कोंचिंग संस्थाओं से नि:शुल्क कोंचिंग की सुविधा प्रदान करना							
67.	अनुसूचित जातियों के लिये छात्रावास	अनुसूचित जाति के निर्धन परिवारों के छात्र-छात्राओं को उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु विभाग द्वारा संचालित छात्रावासों में नि:शुल्क आवासीय एवं भोजन की सुविधा उपलब्ध कराना	609.04	—	513 छात्रों को नि:शुल्क आवास एवं भोजन उपलब्ध कराया गया एवं 45 कर्मचारियों के वेतन भत्ते आदि का भुगतान किया गया	45 कर्मचारियों के वेतन भत्ते आदि का भुगतान किया गया	696 (छात्र)	696 (छात्र)	शैक्षणिक सत्र
68.	अनुसूचित जाति कक्षा 1 से 8 तक की छात्रवृत्ति	अनुसूचित जाति के छात्रों को प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने हेतु प्रोत्साहित करना	2126.47	—	106308 छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति का भुगतान किया गया	115000 छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति का भुगतान किया गया	150000 (छात्र/छात्रा)	150000 (छात्र/छात्रा)	शैक्षणिक सत्र
69.	अनुसूचित जाति के छात्रों हेतु आर्दश आवासीय विधालय की स्थापना	अनुसूचित जाति के छात्रों को नि:शुल्क आवासीय एवं भोजन की सुविधा उपलब्ध कराकर अंग्रेजी पैरेंटन की आधुनिक शिक्षा उपलब्ध कराना	302.18	—	124 छात्रों को नि:शुल्क आवासीय एवं भोजन की सुविधा उपलब्ध करायी गयी एवं 18 कर्मचारियों के वेतन भत्ते आदि का भुगतान किया गया	18 कर्मचारियों के वेतन भत्ते आदि का भुगतान किया गया	175 (छात्र)	175 (छात्र)	शैक्षणिक सत्र
70.	पुस्तकालयों, पाठशालाओं का सुधार एवं विस्तार	स्वैच्छिक संस्थायें जिनके द्वारा अनुसूचित जाति के छात्र/ छात्राओं को शिक्षित किया जा रहा है को अनुदान देकर लाभान्वित करना	242.50	—	14 विभाग द्वारा आर्वतक अनुदान पर संचालित विद्यालयों को अनुदान दिया गया	14 (संस्थाये)	14 (संस्थाये)	14 (संस्थाये)	शैक्षणिक सत्र
71.	अनुसूचित जाति /जनजाति कल्याणार्थ संचालित सेमिनार, कार्यशाला, शोध	अनुसूचित जाति के कल्याणार्थ संचालित योजनाओं का प्रचार-प्रसार करना ताकि सभी पात्र व्यक्तियों को लाभान्वित किया	20.00	—	—	2 सेमिनार 2 कार्यशाला	2 सेमिनार 2 कार्यशाला	2 सेमिनार 2 कार्यशाला	वित्तीय वर्ष

विभाग के अन्तर्गत प्रस्तावित प्रमुख एस.डी.जी.3  
(धनराशि रु. लाख में)

क्रं. सं.	योजना का नाम	योजना का उद्देश्य	आउट ले/बजट		1–4–2020 की वास्तविक स्थिति (भौतिक)	31–3–2021 की संभावित स्थिति (भौतिक)	परिकल्पित (प्रोजक्टेड) आउटपुट वर्ष 2021–22	परिकल्पित (प्रोजक्टेड) आउटकम वर्ष 2021–22	आउटकम हेतु संभावित समयावधि
			राजस्व	पूँजीगत					
	प्रचार प्रसार	जा सके							
72.	अनुसूचित जातियों के लिये अटल आवास योजना	अनुसूचित जाति के आवासहीन परिवारों को आवास उपलब्ध कराना	200.00	—	114 परिवारों को आवास बनाने हेतु आर्थिक सहायता उपलब्ध करायी	1000 परिवारों को आवास बनाने हेतु आर्थिक सहायता दी जायेगी	500 ( परिवार )	5000 ( परिवार )	वित्तीय वर्ष
73.	अनुसूचित जाति की संघटक योजना के लिये विशेष केन्द्रीय सहायता (100 प्रतिशत के0स0)	अनुसूचित जाति के आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्तियों को स्वतः रोजगार के लिये कम ब्याज दर पर ऋण एवं निर्धारित सब्सीडी देकर आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना।	160.00	—	1065 व्यक्तियों को स्वरोजगार हेतु आर्थिक सहायता दी गयी	732 व्यक्तियों को स्वरोजगार हेतु आर्थिक सहायता	1463 ( व्यक्ति )	1463 ( व्यक्ति )	वित्तीय वर्ष
74.	अनुसूचित जाति स्वरोजगार अंशपूँजी	अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम हेतु प्राधिकृत अंशपूँजी को पूरा करना	—	30.00	1065 व्यक्तियों को स्वरोजगार हेतु मार्जिन मनी के रूप में ऋण उपलब्ध कराया	732 व्यक्तियों को स्वरोजगार मार्जिन मनी के रूप में ऋण	1463 ( व्यक्ति )	1463 ( व्यक्ति )	वित्तीय वर्ष
75.	बाबू जगजीवन राम बालिका छात्रावास का निर्माण (100 प्रतिशत के0स0)	अनुसूचित जाति के आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के सूदूरवर्ती क्षेत्रों से जिला मुख्यालय में शिक्षा ग्रहण करने आये छात्राओं को निःशुल्क आवासीय सुविधा उपलब्ध कराना।	—	150.00	—	1 ( निर्माण कार्य )	2 ( निर्माण कार्य )	2 ( निर्माण कार्य )	एक वर्ष
76.	बबू जगजीवन बालक छात्रावास का निर्माण	छात्रावास का निर्माण कर अनुसूचित जाति के छात्रों उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु आवासीय सुविधा उपलब्ध कराना	—	321.76	—	1 ( निर्माण कार्य )	4 (निर्माण कार्य )	4 (निर्माण कार्य )	वित्तीय वर्ष
77.	अनुसूचित जाति के बालक एवं	अनुसूचित जाति के बालकों को प्राथमिक सुवधा हेतु	—	300.00	—	1 ( निर्माण कार्य )	1 ( निर्माण कार्य )	1 ( निर्माण कार्य )	एक वर्ष

विभाग के अन्तर्गत प्रस्तावित प्रमुख एस.डी.जी.3  
(धनराशि रु. लाख में)

क्रं. सं.	योजना का नाम	योजना का उद्देश्य	आउट ले/बजट		1–4–2020 की वास्तविक स्थिति (भौतिक)	31–3–2021 की संभावित स्थिति (भौतिक)	परिकल्पित (प्रोजक्टेड) आउटपुट वर्ष 2021–22	परिकल्पित (प्रोजक्टेड) आउटकम वर्ष 2021–22	आउटकम हेतु संभावित समयावधि
			राजस्व	पूँजीगत					
	बालिकाओं हेतु प्रत्येक जनपद में आवासीय विधालय का निर्माण	आवासीय सुविधा उपलब्ध कराना						)	
78.	अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास	अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों में अवस्थापना से सम्बन्धित आधारभूत सुविधाये उपलब्ध कराना	—	3000.00	222 निर्माण कार्यों हेतु धनराशि अवमुक्त की गयी	828 ( निर्माण कार्य )	500 ( निर्माण कार्य )	500 ( निर्माण कार्य )	वित्तीय वर्ष

## सतत विकास लक्ष्यों हेतु प्रारूप

(धनराशि रु.लाख में)

<b>Goal (लक्ष्य)</b>	<b>SDG संकेतक</b>	<b>1–4–2020 की स्थिति ( भौतिक स्थिति )</b>	<b>31–3–2021 की संभावित स्थिति ( भौतिक )</b>	<b>परिकल्पित आजटपुट ( भौतिक ) 2021–22</b>	<b>परिकल्पित आजटकम ( भौतिक स्थिति ) 2021–22</b>
लक्ष्य—1 गरीबी समाप्त करना : गरीबी के सभी रूपों का सब जगह अन्त करना	1.3.14 दिव्यांग पेंशन के लाभार्थियों की संख्या	78747 ( दिव्यांग पेंशनर )	81000 ( दिव्यांग पेंशनर )	83000 ( दिव्यांग पेंशनर )	83000 ( दिव्यांग पेंशनर )
	1.3.15 विधवा पेंशन के लाभार्थियों की संख्या	167040 ( विधवा पेंशनर )	170000 ( विधवा पेंशनर )	173000 ( विधवा पेंशनर )	173000 ( विधवा पेंशनर )
	1.3.16 वृद्धावस्था पेंशन के लाभार्थियों की संख्या	452775 ( वृद्ध पेंशनर )	453000 ( वृद्ध पेंशनर )	462000 (वृद्ध पेंशनर)	462000 (वृद्ध पेंशनर)

## सतत विकास लक्ष्यों हेतु प्रारूप

(धनराशि रु.लाख में)

Goal (लक्ष्य)	SDG संकेतक	1–4–2020 की स्थिति ( भौतिक स्थिति )	31–3–2021 की संभावित स्थिति ( भौतिक )	परिकल्पित आउटपुट ( भौतिक ) 2021–22	परिकल्पित आउटकम ( भौतिक स्थिति ) 2021–22
लक्ष्य—1 गरीबी समाप्त करना : गरीबी के सभी रूपों का सब जगह अन्त करना	1.3.14  दिव्यांग पेंशन के लाभार्थियों की संख्या	78747  ( दिव्यांग पेंशनर )	82000  ( दिव्यांग पेंशनर )	82600  ( दिव्यांग पेंशनर )	82600  ( दिव्यांग पेंशनर )
	1.3.15  विधवा पेंशन के लाभार्थियों की संख्या	167040  ( विधवा पेंशनर )	171000  ( विधवा पेंशनर )	176650  ( विधवा पेंशनर )	176650  ( विधवा पेंशनर )
	1.3.16  वृद्धावस्था पेंशन के लाभार्थियों की संख्या	452775  ( वृद्ध पेंशनर )	453000  ( वृद्ध पेंशनर )	461000  (वृद्ध पेंशनर)	461000  (वृद्ध पेंशनर)
लक्ष्य—3 स्वास्थ्य एवं तंदुरुस्ती (स्वस्थ्य जीवन सुनिश्चित करना और आजीवन तंदुरुस्ती को सभी उम्र के लोगों के लिये बढ़ावा देना)	3.5.1  नशामुक्ति केन्द्रों में उपचारित व्यक्तियों की संख्या	—	—	50  (व्यक्ति)	50  (व्यक्ति)

<b>Goal (लक्ष्य)</b>	<b>SDG संकेतक</b>	<b>1–4–2020 की स्थिति ( भौतिक स्थिति )</b>	<b>31–3–2021 की संभावित स्थिति ( भौतिक )</b>	<b>परिकल्पित आउटपुट ( भौतिक ) 2021–22</b>	<b>परिकल्पित आउटकम ( भौतिक स्थिति ) 2021–22</b>
लक्ष्य–8 संतोषजनक रोजगार सृजन तथा आर्थिक वृद्धि (सभी के लिये सतत सामावेशी आर्थिक वृद्धि पूर्ण लाभकारी एवं संतोषजनक रोजगार को प्रोत्साहित करना)	8.5.3  सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के अन्तर्गत लाभान्वित किये गये कुल दिव्यांगनों की संख्या	79845 (दिव्यांग व्यक्ति)	82000 (दिव्यांग व्यक्ति)	84000 (दिव्यांग व्यक्ति)	84000 (दिव्यांग व्यक्ति)
लक्ष्य–10 विषमताओं को कम करना (राष्ट्र के अन्दर और उनके बीच असमानता कम करना)	10.2.8  उच्च शिक्षा में छात्रवृत्ति से लाभान्वित अनुसूचित जाति के छात्रों की संख्या	37632	60000	63500	63500